

The Uttaranchal Protection of Interests of Depositors in Financial Establishments Act, 2005

Act 9 of 2005

Keyword(s): Deposit, Financial Establishment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0 माघ 07, 1926 शक सम्दत्

उत्तरांचल शासन विघायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 419/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 27 जनवरी, 2005

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान राजा द्वारा पारित उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वितीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27-01-05 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005

् (अधिनियम सं० ०९, वर्ष २००५)

उत्तरांचल राज्य में वित्तीय अधिष्ठानों में निक्षेपकों (जमाकर्ताओं) के हितों की संरक्षा के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान समा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित :--

1—(1) भारत गणराज्य के एचपनवें वर्ष में अधिनियमित यह अधिनियम उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 कहलायेगा। रांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।
- (3) यह सरकारी गजट में अधिसूचित होने के दिनाक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

- 2-यदि संदर्भ सं अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस अधिनियम में-
- (क) "सहायक कलदरूर प्रथम श्रेणी" का तात्पर्य २०४० भू—राजस्न अधिनियम, 1901 (वर्ष 1901 कर अधिनियम संव 3), उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त के अधीन नियुक्त अधिकारी से हैं;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" का ताल्प धारा 5 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी में है;
- (ग) "निक्षेप" में ऐसी किसी धनराशि की प्राप्त या किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा किसी बहुमूल्य वस्तु का स्वीकरण ""मिलित है अथवा उन्हें समितिक म्ला समझा जायेगा जिसे विनिर्दिष्ट अविध के बाद या अन्यथा नकः, रा वस्तु अथवा विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य प्रकार के फायदे के साथ या उसके बिना दापिस किया जाना है, किन्तु इसमें निष्निलिखित ल्या समावेश नहीं है :—
- (1) अंशपूंजी, ऋण-पत्र (डिबैंचर बांड) या गारतीय ग्रिटियन एवं विकित्त कोई अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 का अधिनियम संख्या 15) के राष्ट्रीय रथापित भारतीय प्रतिमृति एवं विकिथ्य बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों और बनाए को विनियमों में सम्मिलित कोई अन्य लिखत कें रूप में जुटाई गयी धनरिक्श।
- (2) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में दी गई धनराशियां।
- (3) बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम सँख्या
- 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिमाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारीं बैंक या कोई अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त घनराशियां।
- (4) निम्नलिखित से प्राप्त कोई घनराशि :--
- (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
- (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 1) में या घारा 4 क में विनिर्दिष्ट कोई अन्य वित्तीय संस्था, अथवा
- (ग) कोई अन्य संस्था जिसे इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (5) सामान्य कार्य संचालन के दौरान-
- (क) प्रतिभूति जमा,
- (ख) व्यवहारी द्वारा जमा.
- (ग) अग्रिम धन, तथा
- (घ) सामान या सेवा के आदेश के बदले अग्रिम के रूप में प्राप्त घनराशि:
- (6) तत्समय राज्य में प्रवृत्त साहूकारी सम्बन्धी किसी अधितियम के अधीन पर्सिकृत व्यक्तियों के किसी संघ या फर्म अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई धनराशि; और
- (7) चिट के सम्बन्ध में अंशदान के रूप में प्राप्त कोई धनराशि।
 स्पष्टीकरण—1 "चिट" का तात्पर्य चिट फण्ड एक्ट. 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम संख्या 40) की धारा 2 के खण्ड (ग) में समनुदेशित अर्थ से हैं।
 स्पष्टीकरण—2 किसी सम्पत्ति (चल अथवा अचल) की बिक्री पर फिसी विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को दिया गया कोई उद्यार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए
 निक्षेप नहीं समझा जाएगा;
- (घ) ''अभिहित न्यायालय'' का तात्पर्य घारा 10 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय से हैं:

वित्तीय अधिष्ठान

द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम

(ङ) "वित्तीय अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिसमें फर्म अथवा कम्पनी सम्मिलत है जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप स्वीकार करते हैं किन्तु इसमें बैंकिंग विनियशितिकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की ध्यार 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई निगम या किसी राज्य सरकार या लेन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति था बीकेंग कम्पनी सम्मिलत नहीं है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरणंत्रल जरकार से है।

3-यदि कोई विक्तीः अप्रान्दान निक्षेप की परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाम या किसी अन्य रूप में वचनानुसार फायदे के साथ निक्षेप का प्रति संदाय करने में कपटपूर्ण व्यक्तिज्ञन करता है या यथाआश्वासन निक्षेप के बदले सेवा प्रदान करने में असफल होता है तो संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबच्धक सहित प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे विक्तीय अधिष्ठान के प्रबच्धन या कारवार या कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति या कार्या को बोष सिद्ध होने पर कारावास, जिसकी अवधि छः वर्ष तक हो सकती है, का दण्ड नेया जाएगा और उस पर जुर्माना, जिसकी सीमा एक लाख रुपये तक हो सकती , क्या म सकता है तथा ऐसा विक्तीय अधिष्ठान जुर्माना देने का भी जिम्मदार होगा जो पांच लाख क्या की समतुल्य राशि तक हो सकता है या जहां ऐसे निक्षेप का परिमाण धनराहि छे जप म प्यक्त किया जा सकता है, वहां ऐसे व्यक्तिक्रम में अतर्निहित धनराशि का दुगु ना, दुनमें जो भे, अधिक हो, जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा:

रन्तु उपबन्ध यह है : कि न्यायालय के निर्णय में अभिक्तिक्षित विशेष और पर्याप्त कारण के . मान में कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होना और जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष बीस , ज्यार रुपये से कम नहीं हो या और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के सापेक्ष एक लाग्न रुपये से कम नहीं हो या

स्पष्टीक ग्ण-इस धारा के प्रयोजन हेतु का विसीय अधिष्ठान जो ब्याज, बोनस, लाम या दिन्सी अन्य रूप में दचनानुसार फायदे के प्रथा पेसे निक्षेप का प्रति संदेश करने में कप गूर्ण ब्यतिक करता है या यथा वचन ऐस निक्षेप के बदले विनिर्देश्वर सेवा प्रदान परने में असफल होता है या लिए के बदले विनिर्देश्वर सेवा इस आशय से प्रदान करने में असफल होता है, जिससे एक व्यान असिंध्वर अभिलाम होता है अपि दूसरे को सदीय हानि या निक्षेप स्वीकार करत तमय असिंध्वर अथवा व्यापारिक दृष्टि के अब्याद एरिक वचन दिए जाने या निक्षेपों से अर्जित प्रनिर्देश अथवा व्यापारिक दृष्टि के अब्याद एरिक वचन दिए जाने या निक्षेपों से अर्जित प्रनिर्देश को इस रीतिपी अधिमनयोजित करने के कारण जिसमें आवश्यकता व इने करने के कारण जिसमें आवश्यकता व इने करने के कारण हिसमें अवस्थित है जो अनु करने कि उसने क्या विक्रम किया है या कपटपूर्ण ढ्या किम्प करता है जो अनु करने के उसने क्या विक्रम किया है या कपटपूर्ण ढ्या के पर विनिर्देश्वर के प्रान करने में असफल र में है।

ं (1)) सरका र या 1०.5. मिलिस्ट्रैंट अपनी-०.गनी अधिकारिता में स्वमेव या शिकायत १ ति हिन्दे प्र धारा 3 में विजिधिंक्ट कपटपूर्ण रेव्यवहार की शिकायत का अन्वेषण कर राजिस्ट्रेंट शिकायत के साथ अपने रिपोर्ट शीधातिशीध सरकार को अमें रिपेरिक करे गा।

निक्षेपों को लौटाने में व्यतिक्रम पर सम्पत्तियों की कुर्की

.

- (2) तत्समेरी प्रकृत । फेसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए मी-
- 1-जहाँ निर्मापंक्षकाँसी ३ थवा अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सरकार का समाधान हो जाता है कि कोड़[ी] विशिया ३ धिष्ठान-
 - (क) परिपंक्वती के श्रेक्शा, ्या निक्षेपकों द्वारण मांगे जाने पर निक्षेप लौटाने, या
 - (ख) ब्याज या अन्यिकाबदे, जिनका आश्वासन दिया गया था, के मुगतान करने, या
 - (ग) ऐसे निक्षेप के बिद्ध्से से ा प्रदान करने में असफल रहता है; या

- (2) जहां सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निक्षेपों को घोखा देने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य कर रहा है जो उनकें लिए अहितकर होगा; या
 - (3) जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपों को लौटाने या ब्याज या अन्य फायदे जिनका आश्वासन दिया गया था, के मुगतान या उन सेवाओं को प्रदान करने की सम्मावना नहीं है, जिनके बदले निक्षेप स्वीकार किया गया तो सरकार ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के निक्षेपकों के हितों की संरक्षा के लिए लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् सरकारी गज़्द में प्रकाशित कर धन या सम्पत्ति की, जो विश्वास किया जाता है कि वित्तीय अधिष्ठान द्वारा संग्रह किए गए निक्षेपों से अपने नाम था किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अधिग्रहीत की गई है या जहां यह मालूम हो जाए कि ऐसा बन या अन्य सम्पत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने के लिए प्रयाप्त नहीं है तो उक्त वित्तीय अधिष्ठान की ऐसी, अन्य सम्पत्ति या ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के संग्रवर्तकों, भागीदारों, निदंशकों, प्रअन्य को या सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की निजी परिसम्पत्तियों की कुर्की के आदेश जारी करेगी।
- (3) उपधारा (2) के उद्धीन इस आदेश के प्रकाशित होने पर अभिहित न्यायालय से अग्रेत्तर आदेश प्राप्त होने तक उस वित्तीय अधिश्ठान तथा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की समस्त सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां तत्काल सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जाएंगी।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

- 5—(1) सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन कुर्क किए धन और सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को जिसका पद सहायक जिलाधिकारी, प्रथम श्रेणी से निम्न स्तर का नहीं होगा अथवा किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को, सक्षम प्राधिकारी नियक्त किया जाएगा।
- (2) उक्त आदेश के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर अभिहित न्यायालय से अग्रेतर आदेशों, जैसा अभिहित न्यायालय आवश्यक समझे, के लिए सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ एक या अधिक शपथ—पत्र संलग्न करेगा; जिनमें उन कारणों का जिनके आधार पर सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन उक्त आदेश जारी किया गया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसे विश्वास किया जाता है, निक्षेपों से अर्जित की गई है तथा उन व्यक्तियों का, यदि कोई हों, का ब्यौरा जिनके नाम ऐसी सम्पत्ति के निहित या अर्जित किए जाने का विश्वास किया जाता है या धारा 4 के अधीन कुर्क की गई कोई अन्य सम्पत्ति का आवश्यक उल्लेख होगा।
- (3) सक्षम प्राधिकारी, विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य किसी न्यायिक मंच यथा स्थितिः की प्रादेशिक अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी वित्तीय अधिष्ठान या इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति की या दृश्यतः उसके धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी विवाद या विषय वस्तु के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु किसी सभान अधिनियम के अधीन जिसे किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित या शक्तिया सौंपी गई हों, इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य ऐसे न्यायिक मंच को भी एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

सत्तम प्राधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियां

- 6-(1) घारा 5 की उपघारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन का पालन करेगा;
- (2) (i) नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित वित्तीय अधिष्ठान की समस्त घनराशियों और परिसम्पत्तियों का शीघ्रता से वस्तुगत कब्जा लेने के लिए जैसा वह आवश्यक और समीचीन सम्झे. आवश्यक कार्यवाहियां कर सकेगा और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी।

- (ii) खण्ड (i) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-
 - (क) किसी पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी से सहायता की मांग करना और ऐसी मांग पर पुलिस प्राधिकारी या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह आवश्यक सहायता प्रदान करे;
 - (ख) अनुसुचित व्यापारिक बैंक में खाता खोले और वसूल की गई समस्त धनराशियां जमा करे तथा सक्षम अधिकारी की हैसियत से प्राप्त धनराशि का संव्यवहार करते समय बैंक खातों का संचालन करे:
 - (ग) किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे या नियंत्रण में वित्तीय अधिष्ठान की कोई धनराशि या परिसम्पत्ति के होने का विश्वास किया जाता है, आवश्यक सूचना प्रदान करने और ऐसी परिसम्पत्तियों का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को सौंपने की मांग करना तथा ऐसे व्यक्ति को ऐसी मांग का अविलम्ब अनुपालन करना होगा:
 - (घ) ऐसे विधि व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना जिसकी सेवाए वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्ज़ा लेने और परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए आवश्यक हो;
 - (ङ) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी बिक्री-योग्य प्रतिमृति या पराक्रम्य लिखत का विक्रय, हस्तान्तरण, पृष्ठांकन, पराक्रमण या अन्यथा सव्यवहार करना तथा उसका समुचित रूप से उन्मोचन करना:
 - (च) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्वानुमोदन से निजी व्यवस्था द्वारा विक्रय, हस्तान्तरण या अन्यथा संव्यवहार करना:

परन्तु उपबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियों की नाशवान मदें यथाशीघ, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दी जाएंगी;

- (छ) अभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खातों से मुगतान
- (ज) ऐसा प्रत्येक और समस्त कार्यवाही और कार्य करना जो वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों की शीधतया वसूली के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण-इस घारा के प्रयोजन हेतु ''वित्तीय अधिष्ठान'' वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवेतक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति का समावेश है जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां घारा 4 के अधीन कुर्क की गई 韵」

7-(1) सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति की तिथि के तीस दिन के अन्दर वित्तीय अधिष्ठान परिसम्पतियों और की परिसम्पत्तियों और निक्षेप सम्बन्धी देयताओं का निर्धारण करेगा और उनका विवरण निक्षेप देयताओं का अभिहित न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

- (2) तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से. या प्रमावी माध्यमों में प्रकाशित कर नोटिस जारी करेगा और प्रतिभूत लेनदारों से, यदि कोई हों, तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों से भी दावे आमंत्रित करेगा और अपने साक्ष्य सिद्ध करने के लिए समुचित प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।
- (3) उपघारा (2) के अधीन प्रत्येक नोटिस में जो दावेदारों को भेजा गया हो या कार्यान्वित किया गया समझा जाए, इस बात का उल्लेख होगा कि यदि नोटिस के दिनांक से एक माह की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को दावे का विवरण नहीं भेजा गया तो दावा को इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन भुगतान का हकदार दावा नहीं माना जाएगा।

- (4) प्रतिभूत लेनदार को भेजे गए प्रत्येक नोटिस द्वारा यह अपेक्षित होगा कि नोटिस के दिनांक से एक माह की अवधि की संमाप्ति से पूर्व वह प्रतिभृति का मूल्यांकन कर ले और ऐसे नोटिस में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि प्रतिभृति का मूल्यांकन दावे के विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभृति का मूल्यांकन करेगा और उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे प्रतिभृत लेनदार पर बाध्यकर होगा।
- (5) यदि दावेदार उप घारा (4) के अनुसार नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी प्रतिभूति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना 8—धारा 7 के अनुसार रिपोर्ट करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी वसूल की गई धनराशि से निक्षेपकों को मुगतान करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अभिहित न्यायालय में आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकों के प्रति देयताओं और अन्य देयताओं का निर्धारण करेगा और यदि वसूल की गई या किए जाने योग्य धनराशि सम्पूर्ण देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है तो वह अभिहित न्यायालय के आदेशों के अनुसार निक्षेपकों को मुगतान करने और धनराशि के संवितरण की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा।

परिसम्पत्तियों की वसूली और निक्षेपकों को मुगतान सम्बन्धी अभिहित न्यायालय की शक्तियां

- 9-(1) अभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (2) उप धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिहित न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :--
 - (क) इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रमावी कार्यान्वयन हेतु समक्ष प्राधिकारी को, जैसा उचित समझे, कोई निर्देश दे सकेगा;
 - (ख) विभिन्न ऋणी व्यक्तियों द्वारा देय वित्तीय अधिष्ठान को देय राशियों के विवरण का अनुमोदन, वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण, निक्षेपकों की सूची और उनको देय राशियों को अंतिम रूप प्रदान करना;
 - (ग) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और विक्रय, हस्तांतरण या परिसम्पत्तियों की प्रकृति के आधार पर सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट बिक्री द्वारा, जैसा भी उचित समझे, कुर्क परिसम्पत्तियों की वसूली और उनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि को वैंक खातों में जमा करने के निर्देश देना;
 - (घ) वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुमोदन;
 - (ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को भुगतान करने के लिए आदेश या उस दशा में जबकि इस प्रकार वसूल की गई घनराशि से सम्पूर्ण निक्षेप देयता की पूर्ति पर्याप्त न हो, निक्षेपकों को समानुपातिक मुगतान हेतु आदेश देना;
 - (च) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की वसूली तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय अथवा उससे आनुषंगिक विषय या किसी मामले के सम्बन्ध में कोई ऐसा आदेश पारित करना, जो अभिहित न्यायालय उचित समझे।

स्पष्टीकरण—इस घारा के प्रयोजन हेतु "वित्तीय अधिष्ठान" वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य सदस्य का समावेश हैं जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां घारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

अमिहित न्यायालय का गठन 10—(1) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सरकार उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमित से सरकारी गजट में प्रकाशित ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी और समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सहित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के संवर्ग में एक या अधिक अभिहित न्यायालयों का गठन कर सकेगी।

- (2) अभिहित न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय की, जिसमें प्रेसीडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (वर्ष 1909 का अधिनियम संख्या 3) तथा प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (वर्ष 1920 का अधिनियम संख्या 5) के अधीन गठित न्यायालय भी सम्मिलित हैं, किसी विषय के सम्बन्ध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों की सहायता ली जाती है, अधिकारिता नहीं होगी।
- (3) किसी अन्य न्यायालय में लिम्बत प्रकरण, किसी विषय के सम्बन्घ में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, इस अधिनियम की घारा 4 की उपघारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचना के दिनांक से अभिहित न्यायालय को अन्तरित समझे जाएंगे।
- 11-(1) घारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी वित्तीय अधिष्ठान कुर्की से सम्बन्धित या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी परिसम्पत्ति कुर्क की गई है और धारा 4 के अधीन अभिहित न्यायालय सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई है, आवेदन पत्र, शपथ-पत्रों तथा अमिलिखित साक्ष्य, यदि कोई हों, के साथ नोटिस जारी करेगा और उक्त अधिष्ठान तथा ऐसे व्यक्ति से ऐसे दिनांक को जो नोटिस में दिनिर्दिष्ट किया जाएगा या उससे पूर्व कारण बताओं की कुर्की का आदेश क्यों न आत्यन्तिक कर दिया जाए, का आदेश जारी करेगा।

- (2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी जिन्होंने वित्तीय अधिष्ठान हित या हक होने के दावे या उसकी सम्मावना के सम्बन्ध में उसे अम्यावेदन दिया है या ऐसे व्यक्ति की जिसे उपघारा (1) के अधीन ऐसा नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों से उसी दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने यदि वे चाहें तो और सम्पत्तियां या उसके किसी माग की कुर्की के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति करने, के आदेश देगा कि ऐसी सम्पत्ति या उसके माग में उनका हित है।
- (3) कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित के होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन उसे नोटिस तामील नहीं किया गया, उपघारा (4) या उपघारा (6) के अधीन आदेश पारित किए जाने से पहले विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले किसी भी समय उपर्युक्त के अनुसार अभिहित न्यायालय में आपत्ति उठा सकता है।
- (4) यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले उपघारा (1) के अधीन कोई कारण नहीं बताया गया या कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो सक्षम प्राधिकारी कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए तुरन्त एक आदेश पारित करेगा और ऐसा निर्देश निर्गत करेगा जो कुर्क की गई परिसम्पत्तियों की वसूली और कुर्क की गई सम्पत्ति से वसूल की गई धनराशि के निक्षेपकों में समान रूप से वितरण के लिए आवश्यक है।
- (5) यदि उपर्युक्त के अनुसार कारण बताया गया या कोई आपत्ति उठाई गई तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही करेगा और ऐसा करते समय अभिहित न्यायालय पक्षों की परीक्षा तथा अन्य समी पहलुओं पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का अधिनियम संख्या 5) में अपेक्षित है और उक्त संहिता के अधीन वाद की सुनवाई करते समय न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि कुर्की के दिनाक को कुर्क की गई सम्पत्ति में उसका कुछ हित था।
- (6) उपधारा (5) के अधीन किए गए अन्देषण के पश्चात अभिहित न्यायालय यथाशीघ अधिमान्यतः मामले को उसे निर्दिष्ट किए जाने के एक वर्ष के अन्दर घारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए या सम्पत्ति के एक भाग को कुर्की से मुक्त कर या कुर्की के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश पारित करेगाः

किन्तु उपबन्ध यह है कि जब तक यह समाधान नहीं हो जाता कि वित्तीय अधिष्ठान या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सम्पत्ति में हित है और उतनी धनराशि या सम्पत्ति जिसका मूल्य वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करने के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा कुर्की के अधीन रहेगी, अभिहित न्यायालय ऐसे हित को कुर्की से मुक्त नहीं करेगा।

(7) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसे समान अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा कुर्क की गई धनराशि, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों पर नियत्रण रखने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत, गठित या विनिर्दिष्ट किया गया है और शक्ति प्रदान की गई है तो अभिहित न्यायालय अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। मानो आवेदन-पत्र इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपवन्धों को लागू करने के लिए ऐसे आवेदन-पत्र पर समुचित आदेश पारित करेगा था निदेश देगा।

असद्भावपूर्वक अन्तरितियों की सम्पत्ति की कुर्की

- 12—(1) जहां वित्तीय अधिष्ठान् या धारा 4 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की कुर्की के लिए उपलब्ध परिसम्पत्तियां ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपकों को प्रति संदाय करने के लिए अपेक्षित धनराशि या मूल्य से कम पाई जाए और जहां अभिहित न्यायालय का शपथ—पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्ति—युक्त कारण हैं कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने किसी सम्पत्ति को (इस अधिनियम के प्रारम्म होने से पहले या बाद में) सद्भावना से अन्यथा समुचित प्रतिलाम के लिए अन्तरित कर दी है तो अभिहित न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती को नोटिस देकर (चाहे उसने वह सम्पत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से सीधे प्राप्त की हो या नहीं) उस दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने और इससे यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति जिसका मूल्य अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य हो, क्यों न कुर्क कर ली जाए।
- (2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं होता और कारण नहीं बताता अथवा घारा 1 की उपघारा (5) में की गई व्यवस्था की रीति से किए गए अन्वेषण के पश्चात् अमिहित न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्वक नहीं था या समुचित प्रतिलाभ के लिए किया गया था तो अमिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उत्तनी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश देगा जितनी कि अभिहित न्यायालय के विचार से अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य होगी।

कुर्की के बदले प्रतिमृति 13—वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है या कुर्क की जाने वाली है, किसी भी समय ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुज्ञा के लिए अभिहित न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और जहां प्रस्तावित और दी गई प्रतिभूति अभिहित न्यायालय की राय में समाधानकारक और पर्याप्त है तो वह कुर्की का आदेश निरस्त कर सकता है या यथास्थिति, कुर्की का आदेश पारित नहीं करेगा।

प्रशासन

14—अभिहित न्यायालय ऐसे व्यक्ति का जिसका इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई या सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति में हित हो, आवेदन—पत्र पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे अभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत और युक्ति—युक्त समझे:—

- (क) कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी सम्पत्ति में से उतनी धनराशियों की व्यवस्था करना जिनमें आवेदक हित रखने का दावा करता है, जो आवेदक और उसके परिवार के निर्वाह और जहां अभिहित न्यायालय में धारा 3 के अधीन उसके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही आरम्म की गई हो, वहां आवेदक के प्रतिवाद सम्बन्धी व्यय के लिए युक्ति—युक्त रूप से आवश्यक हो;
- (ख) जहां तक व्यवहारिक हो, कुर्की से प्रमावित किसी व्यापार विशेष रूप से ऐसे व्यापार में भागीदारों के हित की संरक्षा,
- (ग) ऐसे वित्तीय अधिष्ठान की किसी साविधिक या अन्यथा देयता का उन्मोचन।
 15-सक्षम प्राधिकारी सहित अभिहित न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित कोई
 भी व्यक्ति आदेश के तीस दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

अपील

16-सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिवक्ता को, जिसने बार में कम-से-कम दस विशेष लोक वर्ष विशेष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी वकील (प्लीडर) अभिहित न्यायालय में मामले अभियोजक के संचालन हेतु नियुक्त करेगी।

17-(1) अभिहित न्यायालय अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए जाने के बगैर अपराघों से अपराध को संज्ञान में ले सकता है। अमियुक्त व्यक्ति पर विचारण करते समय सेशन सम्बन्धित अभिहित सम्बन्धी मामलों पर विचारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

प्रक्रिया एवं शक्तियां

- (2) धारा 467 के उपबन्ध के सिवाय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) के समस्त उपबन्ध यथासम्मव अभिहित न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजन हेतु अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।
- (3) अभिहित न्यायालय संदर्भित व्यक्ति के सम्बन्ध में रिमांड की शक्ति का प्रयोग करेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की घारा 167 और 309 के अन्तर्गत प्राविधानित है।
- (4) अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य अपराघों के सम्बन्ध में भी अभियुक्त का भारतीय दण्ड-प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अन्तर्गत अभियोगों का भी परीक्षण करेगा।
 - (5) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होंगे।

18-इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों पर ऐसी अन्य विधि के नाते प्रभावी किसी प्रथा या प्रचलन या लिखत में किसी असंगत बात अधिगावी के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अधिनियम

19-इस अधिनियम के अधीन सरकार या सक्षम प्राधिकारी, या अधिकारी या सद्मावनापूर्ण की सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही गई कार्यवाही के नहीं की जा सकेगी जो सद्भावनापूर्वक की गई हो या किये जाने का आशय हो।

लिए संरक्षण

20-(1) अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए राज्य सरकार सरकारी नियम बनाने की गजट में अधिस्चित कर नियम बना सकेगी।

शक्ति

(2) यदि किसी विशेष दिनांक को प्रवृत्त होने के लिए अभिव्यक्त न हों तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और निर्गत अधिसूचनाएं उत्तरांचल राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएंगी और उनके प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होंगी।

21-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न किनाईयों के होती है तो सरकार यथावसर आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जो इस निराकरण की अधिनियम के उपबन्धों से असगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा, प्रमुख सचिव।

No. 419/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005 Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 27, 2005.

THE UTTARANCHAL PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT No. 09 OF 2005)

AΝ

Аст

to protect the interests of Depositors in Financial Establishments in the State of Uttaranchal.

Be it enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India by the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal as follows:--

Short Title, Extent & Commencement

- 1. (i) This Act may be called the Uttaranchal Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005.
 - (ii) It extends to the whole of Uttaranchal.
- (iii) It shall be deemed to have come in to force on the date of its publication in the official gazette.

Definitions

- 2. In this Act unless the context otherwise requires--
- (a) "Assistant Collector Ist CLass" means an officer appointed as such under the U.P. Land Revenue Act, 1901 (Act No. 3 of 1901) (as applicable to the State of Uttaranchal);
 - (b) "Competent Authority" means the Authority appointed under section 5;
- (c) "Deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in case or kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include:--
 - (i) amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the Securities and Exchange Board of India, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (Act No. 15 of 1992);
 - (ii) amounts contributed as capital by partners of a firm;
 - (iii) amounts received from a scheduled bank or a co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Act No. 10 of 1949);
 - (iv) any amount received from--
 - (a) the Industrial Development Bank of India,
 - (b) any financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956), or
 - (c) any other institution that may be specified by the Government in this behalf:

- (v) amounts received in the ordinary course of business by way of--
- (a) security deposit,
- (b) dealership deposit,
- (c) earnest money, and
- (d) advanced against order for goods or services;
- (vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in the State; and
- (vii) any amount received by way of subscriptions in respect of a Chit.

Explanation I--"Chit" has the meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (Act No. 40 of 1982).

Explanation II--Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

- (d) "Designated Court" means the Designated Court constituted under section 10;
- (e) "Financial Establishment" means any person or a group of individuals including a firm or a company accepting deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Act No. 10 of 1949);
 - (f) "Government" means the Government of Uttaranchal.
- 3. Any Financial Establishment, which fraudulently defaults any repayment of deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fraudulently fails to render service as assured against the deposit, every person including the promoter partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business or affairs of such Financial Establishment shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six years and with fine which may extend to one lakh of rupees and such Financial Establishment shall also be liable for a fine which may extend to an amount equivalent to rupees five lakhs or where such deposit is quantifiable in terms of money twice the amount involved in such default, whichever is more:

Provided that in the absence of special and adequate reasons recorded in the judgment of the Court, the imprisonment shall not be less than three-years and the fine shall not be less than rupees twenty thousand as against each individual and not less than rupees on lakh against such Financial Establishment.

Explanation--For the purpose of this section, a Financial Establishment, which commits default in repayment of such deposit with such benefits in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service promised against such deposit, or fails to render any specific service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such defaults due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promises made white accepting such deposit or arising out of deployment of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

4. (1) Government or the District Magistrate in their respective jurisdiction suo moto or on receipt of the complaints may cause investigation of a complaint of fraudulent transaction referred to in section 3. The District Magistrate shall forward his report together with the complaint to the Government at the earliest.

Fraudulent default by Financial Establishment

Attachment of properties on default of return of deposits

- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force--
 - (i) where, upon complaints received from the depositors, or otherwise, the Government is satisfied that any Financial Establishments has failed--
 - (a) to return the deposit after maturity or on demand by the depositor, or
 - (b) to pay interest or other assured benefit, or
 - (c) to provide the service against such deposit; or
 - (ii) where the Government has reason to believe that any Financial Establishemnt is acting in a calculated manner detrimental to the interests of the depositors, with an intention to defraud them; or
 - (iii) where the Government is satisfied that such Financial Establishment is not likely to return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received, the Government may, in order to protect the interests of the depositors of such Financial Establishments, after recording reasons in writing, issue an order by publishing it in the Official Gazette, attaching the money or property believed to have been acquired by such Financial Establishment either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the Financial Establishments, and where it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said Financial Establishments or the personal assets of the promoters, parterns, directors, managers or members or any other person of the said Financial Establishments.
- (3) On the publication of the order under sub-section (2), all the properties and assets of the Financial Establishment and the persons mentioned therein shall forthwith vest in the Competent Authority appointed by the Government pending further order from the Designated Court.

Appointment of Competent Authority

- 5. (1) Government shall appoint any of its officers not below the rank of the Assistant Collector Ist class or a Class-I officer as the Competent Authority to exercise control over the money and the properties attached by the Government under section 4.
- (2) The Competent Authority shall, apply within fifteen days from the date of the publication of the said Order, to the Designated Court, accompanied by one or more affidavits stating the grounds on which the Government has issued the said order under section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as a Designated Court may find necessary.
- (3) The Competent Authority may also make an application to any Special Court or Designated Court or any other judicial forum established or constituted or entrusted with the powers by any other State Government under any similar enactment for adjudicating any issue or subject matter pertaining to money or property or assets belonging to or ostensibly belonging to a Financial Establishment or any person notified under this Act situated within the territorial jurisdiction of that Special Court or Designated Court or any judicial forum as the case may be, for passing appropriate orders to give effect to the provisions of this Act.

Duties and powers of Competent Authority

- (1) Without prejudice to the generalities of sub-section (1) of section 5, the Competent Authority may carry out the purpose of this Act.
- (2) (i) On receipt of order of appointment, the Competent Authority shall take such necessary actions as it is necessary or expedient for taking physical possession of all the monies and assets of the concerned financial establishment expeditiously and the Competent Auithority shall have all the powers which are necessary for the aforesaid purpose.

- (ii) Without prejudice to the generality of the powers vested under clause (i), the Competent Authority shall be entitled to--
 - (a) require assistance of any police authority or any other authority or person and on such requisition it shall be the duty of the police authority or such other authority or person to extend necessary assistance;
 - (b) open bank accounts in any scheduled commercial bank and credit all monies realised and operate the bank accounts while dealing with the money received in his capacity as Competent Authority;
 - (c) require any person believed to be in possession or control over any money or assets of the Financial Establishment, to furnish necessary information, to hand over possession of such assets to the Competent Authority and such person shall comply with the requisition without any loss of time;
 - (d) appoint legal practitioner or chartered accountant or any other person whose services are necessary for taking possession of assets and realisation of the assets of the Financial Establishment;
 - (e) sell, receive, transfer, endorse, negotiate, or otherwise deal with any marketable security or negotiable instrument belonging to or in the control of the Financial Establishment and give proper discharge for the same;
 - (f) sell, transfer or otherwise realise any movable or immovable property belonging to, or in the control of the Financial Establishment either by public auction or with the prior approval of the Designated Court by private arrangement:

Provided that the perishable items of assets shall be sold by public auction as soon as the Competent Authority deems fit;

- (g) make payment as per the orders passed by the Designated Court from out of the bank accounts; and
- (h) do all and every acts and deeds which would be necessary for the speedy realisation of the assets of the Financial Establishment.

Explanation--For the purpose of this Section, the expression "Financial Establishment" includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under Section 4.

7. (1) Within thirty days from the date of appointment, the Competent Authority shall assess the deposit liabilities and the assets of the Financial Establishment and submit the statement thereof to the Designated Court.

Assessment of assets and deposit fiabilities

- (2) The Competent Authority thereafter shall issue notice either individually or by means of effective media publication, inviting the claims from secured creditors, if any, and also the depositors of the Financial Establishment to submit their claims with proper proof to establish the same.
- (3) Every notice under sub-section (2) sent to or deemed to have been effected to claimants shall state that if the statement of claim is not sent to the Competent Authority before the expiry of the period of one month from the date of notice, the claims shall not be treated as claim entitled to be paid under the provision of this Act.
- (4) Every notice sent to a secured creditor shall require him to value the security before the expiry of the period of one month from the date of the notice and such notice shall also state that if the statement of the claim together with the valuation of the security is not sent to the Competent Authority, the Competent Authority himself shall value the security and his valuation shall be binding on such secured creditors.
- (5) If the claimant fails to comply with the notice as per the sub-section (4), such security shall be valued by the Competent Authority in his best judgment.

Report by the Competent Authority 8. After making a report as per section 7, the Competent Authority shall make an application to the Designated Court seeking permission to make payment to the depositors out of the money realised. While making such application, the Competent Authority shall assess the liability to the depositors and other liabilities and in case the money realised or realisable is not sufficient to meet the entire liability, make a submission to the Designated Court seeking permission for making payment to the depositors and disburse the money as per the orders of the Designated Court.

Powers of the Designated Court regarding realisation of assets and payment to depositors

- 9. (1) The Designated Court shall have all the powers for giving effect to the provisions of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Designated Court may--
 - (a) give any direction to the Competent Authority as it deems fit, for effective implementation of the provisions of this Act;
 - (b) approve the statement of dues of the Financial Establishment due from various debtors, assessment of the value of the assets of the Financial Establishment, finalise the list of the depositors and their respective dues;
 - (c) direct the Competent Authority to take possession of any assets belonging to or in the control of the Financial Establishment and sell, transfer or realise the attached assets either by public auction or by private sale, as he deems fit, depending upon the nature of assets and credit the sale proceeds thereof to the bank accounts;
 - (d) approve the necessary expenditure to be incurred by the Competent Authority for taking possession and realisation of the assets of the Financial Establishment;
 - (e) order for payment to the depositors by the Competent Authority or order for proportionate payment to the depositors in the event of the money so realised is sufficient to meet the entire deposit liability; and
 - (f) pass any order which the Designated Court deems fit for realisation of the assets of the company and repayment to the depositors of the Financial Establishment or on any matter or issue incidental thereto.

Explanation—For the purpose of this section, the expression "Financial Establishment" includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

Constitution of Designated Court

- 10. (1) For the purposes of this Act, the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the Uttaranchal High Court, by notification, in the Official Gazette, constitute one or more Designated Courts in the cadre of District and Sessions Judge including Additional District and Sessions Judge for such area or areas or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification.
- (2) No court including the court constituted under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 (Act No. 3 of 1909) and the Provincial Insolvency Act, 1920 (Act No. 5 of 1920) other than the Designated Court shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act are invoked.
- (3) Any pending case in any other court in respect of which the provisions of this Act are invoked, shall stand transferred to the Designated Courts from the date of notification issued under sub-section (2) of section 4 of the Act.

Power of Designated Court regarding Attachment 11. (1) Upon receipt of an application under section 5, the Designated Court shall issue to the Financial Establishment or to any other person whose property is attached and vested in the Competent Authority by the Government under section 4, a notice accompanied by the application and affidavits and of the evidence, if any, recorded calling upon the said Establishment and the said person to show cause on or before a date to be specified in the notice, as to why the order of attachment should not be made absolute.

- (2) The Designated Court shall also issue such notice, to all other persons represented to it as having or being likely to claim, any interest or title in the property of the Financial Establishment or the person to whom the notice is issued under sub-section (1), calling upon all such persons to appear on the same date as specified in the notice and make objection if they so desire to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property or portion thereof.
- (3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection as aforesaid to the Designated Court at any time on or before the specified date before and order is passed under sub-section (4) or subsection (6).
- (4) The Designated Court shall if no cause is shown and no objection are made on or before the specified date, under sub-section (1), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue such direction as may be necessary for realisation of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realised from and out of the property attached.
- (5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid, the Designated Court shall proceed to investigate the same and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respects, the Designated Court shall, subject to the provisions of this Act follow the summary procedure as contemplated under the Civil Procedure Code, 1908 (Act No. 5 of 1908) and exercise all the powers of a court in hearing a suit under the said Code. Any person making an objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached.
- (6) After investigation under sub-section (5), the Designated Court shall pass an order as early as possible preferably within one year of the reference of the case to it, either making the order of attachment passed under sub-section (2) of section 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from attachment or cancelling the order of attachment:

Provided that the Designated Court shall not release from attachment any interest which it is satisfied that the Financial Establishment or the person referred to in sub-section (1) has in the property, unless it is satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for re-payment to the depositors of such Financial Establishment.

- (7) Where an application is made by any person duly authorised or constituted or specified by any other State Government under similar enactment empowering him to exercise control over any money or property or assets attached by that State Government, the Designated Court shall exercise all its powers, as if, such an application were made under this Act and pass appropriate order or direction on such application so as to give effect to the provisions of such enactment.
- 12. (1) Where the assets available for attachment of a Financial Establishment or other person referred to in section 4 are found to be less than the amount or value which such Financial Establishment is required to repay to the depositors and where the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise, that there is reasonable cause for believing that the said Financial Establishment has transferred (whether before or after the commencement of this Act) any of the property otherwise than in good faith or for proper consideration, the Designated Court may, by notice, require any transferee of such property (whether or not he received the property directly from the said Financial Establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.
- (2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 11, the Designated Court is satisfied that the transfer of the property to the said

Attachment of property of mala-fide transferees transferee was not in good faith or for proper consideration, the Designated Court shall order the attachment of so much of the said transferee's property as is in the opinion of the Designated Court equivalent to the proper value of the property transferred.

Security in lieu of attachment 13. Any Financial Establishment or person whose property has been or is about to be attached under this Act may, at any time, apply to the Designated Court for permission to give security in lieu of such attachment and where the security offered and given is, in the opinion of the Designated Court, satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or, as the case may be, refrain from passing the order of attachment.

Administration

- 14. The Designated Court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the Competent Authority under this Act and after giving the Competent Authority an opportunity of being heard, make such order as the Designated Court considers just and reasonable for--
 - (a) providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims an interest in such sums as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and of his family, and for expenses connected with the defence of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3;
 - (b) safeguarding so far as may be practicable the interest of any business affected by the attachment and in particular, the interest of any partners in business;
 - (c) discharging any liability, statutory or otherwise, of such Financial Establishment.

Appeal

15. Any person including the Competent Authority, if aggrieved by an order of the Designated Court, may appeal to the High Court within thirty days from the date of the order.

Special Public Prosecutor 16. The Government shall, by notification, appoint an Advocate of not less than ten years standing at Bar as a Special Public Prosecutor or Special Government Pleader for the purpose of conducting the case in the Designated Court.

Procedure and Powers of Designated Court regarding offences

- 17. (1) The Designated Court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and, in trying the accused person, shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) for the trial of Sessions Cases.
- (2) Except the provision of section 467 all the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Designated Court and for the purposes of the said provisions a Designated Court shall be deemed to be a Magistrate.
- (3) The Designated Court shall exercise the power of remand with regard to person forwarded to it as provided under section 167 and 309 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).
- (4) The Designated Court while trying the offence under this Act may also try an offence other than the offence under this Act with which the accused may be charged at the same trial under Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).
- (5) The offence punishable under this Act shall be cognizable and non-bailable.

Act to override other laws 18. Save as otherwise provided in this Act the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage of any instrument having effect by virtue of any such law.

Protection of action taken in good faith

19. No suit or other proceeding shall lie against the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. 20. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make

- (2) All rules made and notifications issued under this Act shall be published in the Uttaranchal Government Gazette and unless they are expressed to come into force on a particular day, shall come into force on the day on which they are so iblished.
- 21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the 3 overnment may, as occasion arise, by order, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary to remove the difficulty.

Power to remove difficulties

By Order,

 J. MALHOTRA, Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 9 विधायी/33-2005-85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।